

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक-एफ.28( )परावि/प्रशा-2/ग्राविअ(ग्रास)/पदोन्नति(बन्द लि.)/2020/ 303 जयपुर,दिनांक- 04/02/2020

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 1596 दिनांक 24-05-2013 द्वारा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की सिफारिश के आधार पर बन्द किये गये लिफाफों में से निम्न ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) के बन्द लिफाफा खोले जाकर, उनके नाम के सामने अंकित वर्ष की शक्तियों के विरुद्ध पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी (ग्राम सेवक)	श्रेणी	वर्तमान पदस्थापित पंचायत समिति	चरिष्ठता क्रमांक	पदोन्नति वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री हैदर अली	Gen	गडरा रोड (वाडमेर)	1248	2011-12	
2	श्री रिछपाल सिंह भील	Gen	पिपराती (सीकर)	1352	2012-13	
3	श्री हरिकिशन मुण्डेल	Gen	मूण्डवा (नागौर)	1414	2012-13	
4	श्री रामजीलाल कुशवाह	Gen	टोंक (टोंक)	1563	2012-13	
5	श्री विरसा खां	Gen	गडरा रोड (वाडमेर)	1722	2012-13	
6	श्री भंवर लाल शर्मा	Gen	पीपलखूंट हॉल धरियावद (प्रतापगढ़)	1726	2012-13	
7	श्री शिवभगवान कुकणा	Gen	संगरिया (हनुमानगढ़)	1838	2012-13	
8	श्री खूमाराम	Gen	गिडा (वाडमेर)	2000	2012-13	
9	श्री जगदीश प्रसाद गित्तल	Gen	स.माधोपुर (स.माधोपुर)	2008	2012-13	
10	श्री परमानन्द	SC	पदमपुर (गंगानगर)	2482	2012-13	
11	श्री रात्यनारायण वैरवा	SC	केकडी (अजमेर)	2543	2012-13	
12	श्री ईश्वरलाल	SC	सांचोर (जालौर)	2580	2012-13	
13	श्री राघवेन्द्र	Gen	सुल्तानपुर(कोटा) हॉल शाहवाद (बारां)	2659	2013-14	

उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4681/2013 श्याम सुन्दर मुण्ड बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.5.2013 के निर्णय के अधीन रहेंगी । मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पदोन्नत कार्मिक सीधी भर्ती से अथवा अन्य विभागों से पंचायती राज विभाग में समायोजित किया जा चुका है।

उक्त पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारी अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही पदोन्नत पद का कार्यभार अविलम्ब ग्रहण कर, पालना रिपोर्ट विकास अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से विभाग को प्रेषित करेंगे, अन्यथा स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आपके द्वारा पदोन्नति को फॉरगो कर दिया गया है ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुनील शर्मा)

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (तृतीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं तत्काल पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 2-निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 3-निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 4-जिला कलक्टर, समस्त।
- 5-मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारियों की कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 6-विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारियों की कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 7-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, पंचायती राज विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 8-संबंधित संस्थापन लिपिक, पंचायत प्रसार अधिकारी, प्रशा-2 मुख्यालय।
- 9-आदेश में वर्णित ग्राम विकास अधिकारी(ग्राम सेवक) समस्त।
- 10-आदेश पत्रावली।

५१  
4/2/2020  
अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (तृतीय)